प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1 कार्यालय का नाम–

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता–

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता–

आरूषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया पुत्री डॉ. अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता– फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष– 94141 02459

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक– 01.06.2021

6 आवेदन पत्र शुल्क– 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52F 385029

7 चाही गयी जानकारी का विवरण–

ए– यह कि आवेदक आरूषि जैन के लिए परामर्श शुल्क के निमित्त डॉ इस्माईल वाई. पाला की ओर से दिनांक 11.08.2015 को रसीद नम्बर 993 राशि 600/–रूपया जारी की गई, जिससे संबंधित समस्त प्रकार के मेडिकल बिल राशि पुर्नभरण हेतु आवेदक के पति हिमांशु चोरडिया पूर्व डिप्टी मेनेजर द्वारा कंपनी में पेश किये गये आवेदन से संबंधित निम्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे–

i- आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति,

ii- आवेदन के साथ संलग्न डॉक्टर प्रिस्क्रीप्शन की प्रमाणित प्रति

iii- आवेदन के साथ संलग्न दवाई बिल की प्रमाणित प्रति,

iv- आवेदन के साथ संलग्न डॉक्टर फीस रसीद की प्रमाणित प्रति।

बी– यह कि लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एव पते की जानकारी प्रदान करायी जावे।

सी– यह कि प्रथम अपील प्राधिकारी के नाम पदनाम व पते की जानकारी प्रदान करावे।

8 यह कि आवेदन के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर में नाम लिखने पर आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य आवेदन के जवाब में सूचित किया गया कि पोस्टल ऑर्डर में केवल कंपनी का नाम लिखना है लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया कि किस वजह से कम्पनी का नाम लिखना है इस कारण इस आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर में पाने वाले का नाम रिक्त रखा गया है जिसे आप जैसा उचित समझे भरकर आवेदन शुल्क की राशि प्राप्त करे।

9 यह कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग ने "श्री एस.पी.गोयल. बनाम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एण्ड सीपीआईओ, लुधियाना अपील नम्बर सीआईसी/एटी/ ए/ 2007/00344, निर्णय दिनांक 13.06.2007 के मामले में निर्धारित किया है कि है कि फाईल दिखाने के लिये उसका नाम/नम्बर अपीलार्थी से पूछना सही नहीं है। विषय बताने पर फाईल का पता लगाने का कार्य लोक सूचना अधिकारी का है।

10 यह कि माननीय राजस्थान सूचना आयोग जयपुर ने श्रीमती आजद मेहता बनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर अपील संख्या 2968/2009 निर्णय दिनांक 19.05. 2010 के मामले में प्रतिपादित किया कि यदि बिन्दुवार सूचना/उत्तर प्रेषित नहीं किया जाए तो जानबूझकर सूचना से वंचित रखना माना जाएगा।

11 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (5) के अनुसार किसी अपील कार्यवाहियों में, यह साबित करने, कि अनुरोध की अस्वीकृति न्यायसंगत थी, का भार उस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति, पर होगा, जिसने अनुरोध अस्वीकृत किया।

12 यह कि आवेदक/प्रार्थीया ने स्वयं से संबधित सूचना चाही है जिसके प्रकटन में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

13 यह कि चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।

1/6/21

Arunjai

दस टका दश টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ദശ രൂപ பத்து ரூ. दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO ______________________ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹10

AT THE POST OFFICE AT ______________________

के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

तारीख सहित जारी करने वाले कार्यालय की मुहर
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

तारीख सहित अदा करने वाले डाकघर की मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Arushi Jain
Flat No 502
Hitawala Tower
Near Celebration Mall
Udaipur - 313001

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

52F 385029